WitnessNo.....26.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....

साक्षी क्रमांक 26 सुबोध फाय का साक्ष्य लगातार ।

साक्षी को आज दिनांक 05.12.2025 को समय 11.00 बजे शपथ दिलायी जाकर प्रतिपरीक्षण प्रारंभ किया गया।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री मधु तिवारी वास्ते आरोपी रहमान, कन्हैया, चंद्रभान व सूरज//

(79) यह कहना सही है कि ललित सिंह ठाकुर द्वारा मेरे समक्ष आकर हस्तगत मामले के फर्जीवाडा संबंधी राशि जमा नहीं करने की बात को स्वीकार किया था ।

//प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री संजय कुमार जायसवाल वास्ते आरोपी सुनील कुमार कश्यप//

(80) यह कहना सही है कि अभियुक्त सुनील कश्यप ललित शोरूम में चोलामंडलन फाईनेंस कंपनी में कर्मचारी के रूप में नियुक्त् होकर फाईनेंस का कार्य देखता था । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आरोपी सुनील कश्यप फाईनेंस हेतु अधिकृत नहीं था तो, साक्षी कहता है कि आरोपी सुनील कंपनी की ओर से फाईनेंस संबंधी कार्य के अनुक्रम में , वाहन के फाईनेंस संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर क्रेडिट में फंड्स फाईनेंस अप्रुवल हेतु देता था ।

(81) यह कहना सही है कि उक्त कार्य हेतु वाहन डीलर के द्वारा वाहन का कोटेशन , मार्जिन मनी, इनवायस एवं बीमा संबंधी दस्तावेजों की आपूर्ति की जाती थी और उक्त दस्तावेजों को आरोपी सुनील द्वारा फाईनेंस कंपनी में भेजा जाता था, जो चंद्रकुमार चंद्रवंशी को प्राप्त होता था ।

(82) यह कहना सही है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन, बीमा , इनवायस हाईपोथीकेशन जो कि ललित शोरूम के डीलर द्वारा अंकित किया जाता था ।

(83) यह कहना सही है कि चोलामंडलम फाईनेंस कंपनी में आधार मास्किंग का काम किया जाता था । यह कहना सही है कि डीलर शोरूम से दस्तावेज प्राप्त होने के उपरांत फाईनेंस के सत्यापन संबंधी सभी कार्य फाईनेंस कंपनी के चंद्रकुमार चंद्रवशी द्वारा किया जाता था ।

(84) यह कहना सही है कि शोरूम में फाईनेंस संबंधित कागजात इकट्ठा करके फाईनेंस कंपनी में जमा करने का काम देखता था । यह कहना गलत है कि चंद्रकुमार चंद्रवंशी द्वारा सत्यापन द्वारा उन दस्तावेजों पर स्वयं का हस्ताक्षर किया जाता था ।

(85) यह कहना सही है कि प्रदर्शित समस्त आर्टीकलों 01 से 85 तक के फाईनेंस सुदा दस्तावेजों में जहां जहां प्रदर्शित भागों में आरोपी सुनील के हस्ताक्षर है , वहां सत्यापन उपरांत हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(86) मैं ललित शोरूम के डीलर के हस्ताक्षर को नहीं पहचानता । यह कहना सही है कि शोरूम के मालिक और हमारी फाईनेंस कंपनी में मेरी ओर से जो अनुबंध हुआ था उसमें मैं शोरूम के मालिक के हस्ताक्षर को पहचानता हूं ।

(87) साक्षी से उक्त आर्टिकल में ललित शोरूम के मालिक के सील व हस्ताक्षर की पहचान के संबंध में पूछे जाने पर साक्षी कहता है कि सील ललित शोरूम का है किन्तु हस्ताक्षर शोरूम के मालिक का होना मैं नहीं जानता ।

(88) आज मुझे याद नहीं है कि मेरे द्वारा ट्रेड एग्रीमेंट दौरान विवेचना पुलिस को दिया गया था । यह कहना सही है कि आर्टीकल 1 से 85 तक को

मेरे द्वारा पुलिस को प्रदान किया गया था । आज मुझे ध्यान नहीं है कि मेरे द्वारा पुलिस को ट्रेड एग्रीमेंट के दस्तावेज दिये ही नहीं है ।

(89) यह कहना सही है कि फाईनेंस एग्रीमेंट में मेरे भी हस्ताक्षर हैं । यह कहना सही है कि एग्रीमेंट से पूर्व मेरे द्वारा एग्रीमेंट के दस्तावेजों का निरीक्षण नहीं किया था , जिसका कारण आफ्स क्रेडिट चेक करता है उसके उपरांत ही मेरे द्वारा एग्रीमेंट में हस्ताक्षर किया जाता है ।

(90) यह कहना गलत है कि फाईनेंस अप्रुव्ड दस्तावेजों में चंद्रकुमार चंद्रवंशी हस्ताक्षर करता है । यह कहना सही है कि प्रदर्शित आर्टीकलों में फाईनेंस अप्रुव्ड के कॉलम में चंद्रकुमार चंद्रवंशी का हस्ताक्षर है ।

(91) साक्षी से यह पूछे जाने पर कि फाईनेंस अप्रुव्ड करने का अधिकार चंद्रकुमार चंद्रवंशी को है तो, साक्षी कहता है कि स्टेट लेवल में फाईनेंस अप्रुव्ड करने का अधिकार चंद्रकुमार चंद्रवंशी को है उक्त

लेवल से अधिक राशि का या अन्य स्थिति में ऐरीया क्रेडिट मैनेजर , कवर्धा को अप्रुव्ड करने का अधिकार होता है ।

(92) यह कहना सही है कि आर्टीकल 1 से 85 तक के फाईनेंस सुदा सभी वाहनों के फाईनेंस को अप्रुव्ड करने का अधिकार चंद्रकुमार चंद्रंवशी को था और उसी ने हस्ताक्षर किये ।

(93) ग्राहकों के घर जाकर स्थान का पता लगाने का कार्य आरोपी सुनील कश्यप का नहीं था, यह गलत है । यह कहना सही है कि स्टेट थ्रु लेवल के फाईनेंस संबंधी मामलों में ग्राहकों के पता का निरीक्षण अथवा सत्यापन करने का कार्य आरोपी सुनील कश्यप का नहीं था ।

(94) यह कहना सही है कि आधार मास्किंग का काम जो आर्टीकल 1 से 85 में संबंधित है उक्त चार अंक का कार्य हमारी कंपनी के नियमों में है, शेष आधार अंक को सफेदा लगाकर विलोपित किया जाता है ।

(95) यह कहना सही है कि आधार कार्ड OTP बेस्ड है और कंफर्म होने के उपरांत हम लोग फाईनेंस करते हैं । यह कहना सही है कि सारे दस्तावेजों में OTP हमारी कंपनी के द्वारा भेजा गया और व्हेरीफिकेशन उपरांत फाईनेंस किया गया ।

(96) यह कहना सही है कि सुनील कश्यप द्वारा मेरे समक्ष दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है । यह कहना सही है कि ग्राहकों के सही स्थिति होने से किस्त की राशि कटती है ।

(97) यह कहना सही है कि हमारी कंपनी के साथ यदि कोई धोखा हुआ है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ललित शोरूम के मालिक की है । साक्षी से यह पूछे जाने पर कि पुलिस बयान में बताते समय आपने केवल ललित शोरूम के मालिक ललित ठाकुर को जिम्मेदार बताया है , तब साक्षी कहता है कि संपूर्ण जवाबदारी ललित एवं प्रकरण के अभियुक्तगणों का होना मैं पुलिस बयान में बताया हूं ।

(98) यह कहना सही है कि मैनें अपने पुलिस बयान के अ से अ भाग "प्रो० ललित ठाकुर के द्वारा --- मुख्य शाखा में भेजने का कार्य" मैनें बताया था ।

(99) यह कहना सही है कि मैनें अपने बयान में यह बताया था कि "शोरूम के मालिक द्वारा ---- कंपनी के खाते में जमा किया है" बताया था ।

(100) यह कहना सही है कि मेरे द्वारा ललित सिंह ठाकुर का फाईनेंस कंपनी के साथ फर्जीवाडा किये जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष लिखित शिकायत किया था , शेष फाईनेंस राशि ललित द्वारा जमा न करने पर लिखित शिकायत की गयी थी ।

(101) मेरे पुलिस बयान में आरोपी सुनील कुमार कश्यप को कंपनी के द्वारा कमीशन देने की बात का उल्लेख नहीं है इसका कारण मैं नहीं बता सकता ।

WitnessNo.....26.....for.....अभियोजन साक्ष्य.....

प्रतिपरीक्षण समाप्त समय 11.30 बजे

साक्षी को उसका कथन पढकर सुनाये जाने पर उसने कथन सही होना स्वीकार किया।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, कबीरधाम (छ०ग०)

सही/-
(आलोक कुमार अग्रवाल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पंडरिया, कबीरधाम (छ०ग०)

गवाह के हस्ताक्षर.....